

न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम, खगड़िया।

जी.आर.नं० 3834/21

परवत्ता(भरतखण्ड) थाना कांड सं० 513/21

22.11.24

सूचक अनुपस्थित। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर परवत्ता थाना कांड सं० 513/21 धारा 461/379/427 भा०द०वि० के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। अनुसंधान के पश्चात अनुसंधानकर्ता के द्वारा अंतिम प्रतिवेदन सत्य सूत्रहीन समर्पित किया गया। सूचक को नोटिस निर्गत किया गया है। सूचक न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अतः न्याय हित में अंतिम प्रपत्र को स्वीकार करते हुए वाद की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है। कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करा दें।

लेखापित



अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम,
खगड़िया।